on telephone No. 3710911, 3720911, 3350911 from 8 p.m. to 8 a.m.

5. Walk in Enquiry Service (in Delhi only);

For across thecounter directory enquiry. This is functional at Eastern Court.

6. Computerised on Line Directory enquiry for Madras telephone numbers introduced at Delhi (telephone number 3325183 for enquiry about; Madras, numbers)

सूरत में खोए हुए पार्सलों के लिए मुआवजा

1226. श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और भारतीय डाकघर अधिनियम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान सूरत में बीमाकृत कुछ पार्सलों के चोरी होने पर कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और क्या इन पार्सलों के मूल्य का कोई मुआवजा दिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सूरत से चोरी या गुम हुये बीमा पार्सलों के जो मामले ध्यान में आये हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) अदा की गई मुआवजा राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है । अनुशासनिक नियमों के अनुसार दोषी कर्मचारी के खिलाफ उपर्युक्त कार्रवाई की गई है ।

विवरण

वर्ष	सूरत में ध्यान में आए चोरी के मामलों की संख्या	सूरत में बुक किए गए लेकिन विभिन्न स्थानों पर वितरित बीमा पार्सलों के गुम होने के की संख्या	भारतीय डाक घर अधिनियम के तहत निपटाए गए मामलों मामलों की संख्या चोरी	खोए हुए	चोरी/खोने के मामलों की संख्या जो उपभोक्ता/फोरम में लम्बित हैं, निर्णय लिया जा चुका है ।	भुगतान की गई मुआवजा राशि
1991–92	(एक सूरत आर० एस० डाकघर में)	16	1	13	—	33197.00 रुपए
1992–93	शून्य	13	—	11	—	15242.25 रुपए
1993–94	शून्य	9	—	1	—	500.00 रुपए
					(लम्बित निर्णय)	